राजस्थान सरकार
वित्त (व्यय-1) विभाग

164/FA
12/08/16

विषय:- वित्त विभाग की बिना पूर्व सहमति के विभागों द्वारा निजी कंपनियों/संस्थाओं/स्वंयसेवी संस्थाओं से पूंजीगत निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त कर आवर्ती व्यय (Recurring expenditure) के दायित्व सृजित करने के संबंध में।

वित्त विभाग की जानकारी में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा स्वयं के स्तर पर निजी कंपनियों/संस्थाओं/स्वंयसेवी संस्थाओं से आर्थिक सहायता प्राप्त कर भवन व अन्य पूंजीगत निर्माण जैसे विद्यालय भवन/छात्रावास आदि का निर्माण कराया जा रहा है। इस प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए राज्य सरकार से धन राशि की आवश्यकता नही होने के कारण संभवतः प्रशासनिक विभागों द्वारा इनके लिए वित्त विभाग की सहमति नही ली जा रही है। इस प्रकार के पूंजीगत निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत निर्मित भवनो में विद्यालय/चिकित्सालय/छात्रावास आदि के संचालन हेतु आवर्तक व्ययों के दायित्वों की पूर्ति हेतु वित्त विभाग से बजट की मांग की जाती है, जो कि नियमानुसार उचित नही है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों से अनुरोध है कि निजी कंपनियों/संस्थाओं/स्वंयसेवी संस्थाओं से पूंजीगत निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि भविष्य में इन निर्माण कार्यों के फलस्वरूप राज्य सरकार पर आवर्तक व्ययों का वित्तीय भार उत्पन्न होने की संभावना हो, तो ऐसे मामलों में संबंधित संस्थाओं से आर्थिक सहायता प्राप्त करने से पूर्व वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करावें।

28/7/16

(प्रेम सिंह मेहरा)
प्रमुख शासन सचिव

JDM/AO(B)

समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

महिला बाल विकास

P.S.

अ.शा.टी.1 स.प.3(5)वित्त/व्यय-1/2016
जयपुर, दिनांक: 28 जुलाई, 2016

FA-1

राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाऐं

कमांकः-एफ.2( )बजट/आयो./बीएफसी/2016/ 114714-115060 जयपुर, दि. 31.8.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त योजना प्रभारी, मुख्यालय।
2. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग (समस्त)
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाऐं (समस्त)
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड बाबत।